समक्ष

<u>प्रमोद कोहली न्यायाधीश</u>

रोशन लाल और अन्य,-अपीलकर्ता/प्रतिवादी/आवेदक

बनाम

केवल सिंह और अन्य,-प्रतिवादी

सी एम नः 2006 का 10766-सी,

2006 की आरएसए संख्या 4141

5 अक्टूबर, 2007

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 – आदेश 41 नियम 14(3) - प्रतिवादियों के प्रति ट्रायल कोर्ट में एक पक्षीय कार्यवाही हुई- ट्रायल कोर्ट द्वारा मुकदमे को खारिज करना - प्रथम अपीलीय न्यायालय ने पाया कि प्रतिवादियों पर निचली अदालत के समक्ष पहले से ही एक पक्षीय कार्यवाही की गई थी और उनकी तामील के आदेश की अपील में आवश्यकता नहीं है - आदेश 41 नियम 14 के प्रावधान निचली अदालत के समक्ष अनुपस्थित उत्तरदाताओं को तामील देने से छूट देने के लिए अपीलीय न्यायालय को पूर्ण विवेक प्रदान नहीं करते - उत्तरदाताओं को तामील प्रदान न करने में निचली अपीलीय अदालत का निर्णय स्पष्ट रूप से अवैध है - अपील दायर करने में 635 दिनों की देरी - नोटिस की गैर- तामील निचली अपीलीय अदालत के पास अवधि की परवाह किए बिना देरी को माफ करने के लिए पर्याप्त कारण है - अपील स्वीकार की।

ये निर्धारित किया गया कि प्रथम अपीलीय न्यायालय के लिए उत्तरदाताओं (यहाँ अपीलकर्ताओं) को नोटिस देना अनिवार्य था। यह स्वीकृत तथ्य है कि प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा दायर मुकदमा ट्रायल कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया था, भले ही वह प्रतिवादियों पर एक पक्षीय कार्यवाही थी। प्रतिवादियों को मुकदमे की तामील होने की जानकारी थी, लेकिन मुकदमे के खारिज होने से यह

माना जाता है कि वे निर्णय से संतुष्टहैं और उन्हें अपील की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ट्रायल कोर्ट का फैसला उनके पक्ष में था। उनके आत्मसंतुष्ट होने का हर कारण था। इस परिदृश्य में, निचली अपीलीय अदालत द्वारा प्रतिवादियों को नोटिस तामील न करने का निर्णय एक ज़बरदस्त और पेटेंट अवैधता है। निचली अपीलीय अदालत का यह वैधानिक दायित्व था कि वह प्रतिवादियों को अखबार में प्रकाशन या किसी अन्य स्वीकार्य तरीके से नोटिस तामील करने का आदेश देती, यदि सामान्य प्रक्रिया में नोटिस, प्रतिवादी के ट्रायल कोर्ट के समक्ष अनुपस्थित होने के कारण तामील नहीं करा जा सकता था। निचली अपीलीय अदालत द्वारा नोटिस की तामील न किया जाना, अपील दायर करने में हुई देरी को माफ करने के लिए पर्याप्त कारण बनता है।

(पैरा 18)

आवेदकों/अपीलकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता रामेश्वर मलिक।

प्रतिवादियों की ओर से अरुण जैन, अधिवक्ता।

<u>परमोद कोहली, न्यायाधीश:</u>

(1) इस नियमित दूसरी अपील को दाखिल करने में 635 दिनों की देरी को प्रतिवादियों/आवेदकों की ओर से दायर इस आवेदन के माध्यम से माफ करने की मांग की गई है। वर्तमान आवेदन के प्रयोजनों के लिए प्रासंगिक स्वीकृत तथ्यात्मक स्थिति नीचे दी गई है:-

(2) प्रतिवादी संख्या 1 ने अतिरिक्त सिविल जज (सीनियर डिवीजन), गोहाना की अदालत में आवेदकों और प्रतिवादी संख्या 2 से 5 के खिलाफ 2002 का 85 दीवानी दावा दायर किया, जिसमें घोषणा के साथ शाश्वत व्यादेश की परिणामी राहत की मांग की गयी। ट्रायल कोर्ट में प्रतिवादियों पर एक पक्षीय कार्यवाही की गई और परिणामस्वरूप, मुकदमे का फैसला 25 सितंबर, 2004 के निर्णय और डिक्री के माध्यम से हुआ। हालाँकि, ट्रायल कोर्ट ने वादी का मुकदमा खारिज कर दिया था। ट्रायल कोर्ट की वह परिस्थितियों जिन में आवेदकों और प्रतिवादी क्रमांक 2 से 5 (मुकदमे में प्रतिवादी) के तहत एक पक्षीय कार्यवाही की गई, वे उसके फैसले से स्पष्ट नहीं हैं। ट्रायल कोर्ट ने पैरा 3 में निम्नलिखित टिप्पणियाँ कीं:-

“अदालत में पेश होने में विफल रहने के बाद प्रतिवादियों पर एकपक्षीय कार्यवाही की गई।”

(3) वादी/प्रतिवादी संख्या 1 ने एक पक्षीय निर्णय और डिक्री (मुकदमा खारिज) के खिलाफ अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, सोनीपत की अदालत में सिविल अपील संख्या 2004 की 138 के तहत अपील की। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने भी अपने समक्ष अपील में प्रतिवादी क्रमांक 1 से 4 और 9 (मुकदमे में प्रतिवादी) के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही की, जो इस आवेदन में आवेदक हैं। हालाँकि, निचली अपीलीय अदालत ने उन परिस्थितियों पर ध्यान दिया, जहाँ ट्रायल कोर्ट ने प्रतिवादियों, आवेदकों/अपीलकर्ताओं के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही की थी। यह उल्लेख किया गया है कि प्रतिवादी संख्या 1,2,3 और 5,6 और 9 को भेजे गए पंजीकृत पत्र "अस्वीकार" की रिपोर्ट के साथ वापस प्राप्त किए गए थे और उन पर 14 अगस्त, 2002 के आदेश के तहत एकपक्षीय कार्यवाही की गई थी। यह भी देखा गया है कि प्रतिवादी क्रमांक 4, 7 और 8 पर मुनादी के माध्यम से कार्रवाई की गई थी और उन पर एकपक्षीय कार्यवाही की गई थी दिनांक 31 जनवरी, 2004 के आदेश के तहत। निचली अपीलीय अदालत ने इन टिप्पणियों को दर्ज करने के बाद अपील का निर्णय लिया और 2 मार्च, 2005 के अपने फैसले और डिक्री के तहत अपील स्वीकार की, जिसके तहत निचली अदालत के फैसले और डिक्री को रद्द कर दिया गया और उत्तरदाताओं द्वारा दायर किए गए मुकदमे पर फैसला सुनाया गया।

(4) जो आवेदक निचली अपीलीय अदालत के समक्ष प्रतिवादी संख्या 9 और 1 से 4 थे, उन्होंने देरी की अवधि को माफ करने के लिए एक आवेदन के साथ वर्तमान अपील दायर की, जबकि प्रतिवादी संख्या 5 से 8 को प्रोफार्मा प्रतिवादी 2 से 5 के रूप में रखा गया है।

(5) आक्षेपित निर्णय में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि उत्तरदाताओं को नोटिस तामील किया गया या नहीं। आवेदकों ने निचली अपीलीय अदालत द्वारा पारित 21 अक्टूबर, 2004 के अंतरिम आदेश का हवाला दिया है, जो इस प्रकार है; -

“अपील असाइनमेंट द्वारा प्राप्त हुई। इसकी जांच की जाए। सुनवाई की गयी। कई तर्कपूर्ण बिंदु हैं, इसलिए इसे स्वीकार किया जाता है। इसे पंजीकृत किया जाए। लेकिन इस स्तर पर

अपीलकर्ता के वकील ने बताया है कि प्रतिवादियों पर निचली अदालत के समक्ष पहले ही एकपक्षीय कार्यवाही की जा चुकी है, इसलिए अपील में नोटिस तामील करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे में, निचली अदालत का रिकॉर्ड 2 दिसंबर, 2004 के लिए तलब किया जाए।''

(6) उपरोक्त अंतरिम आदेश से, यह स्पष्ट है कि अपीलीय न्यायालय ने अपने समक्ष अपील में कभी भी उत्तरदाताओं को नोटिस में नहीं रखा और अपील पर निर्णय लेने के लिए आगे बढ़ा। तदनुसार, आवेदकों ने उपरोक्त परिस्थितियों में देरी को माफ करने की मांग की है। उन्होंने एक अतिरिक्त दलील यह भी दी है कि मुकदमे/अपील में वादी द्वारा दिए गए पते गलत हैं। यह कहा गया है कि आवेदक दिए गए पते पर कभी नहीं रहते थे और इस प्रकार, उनके तामील का प्रतिग्रहण करने से इनकार करने का कोई सवाल ही नहीं था। उन पर कभी भी समन तामील कराने की मांग नहीं की गई और वादी पक्ष ने न केवल आवेदकों को बल्कि माननीय न्यायालय को भी धोखा दिया है। अपील के ज्ञापन में, यह विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि अपीलकर्ता नंबर 1 रोशन लाल, उनकी पत्नी श्रीमती वीना-अपीलकर्ता संख्या 2 और अपीलकर्ता संख्या 3 श्रीमती पुष्पा, ए-96, विशाल, एन्क्लेव, राजौरी गार्डन, नई दिल्ली में रहती हैं, जबकि वादपतर् और अपील में दिए गए पते केवल 96, विशाल एन्क्लेव राजौरी गार्डन, नई दिल्ली हैं, जो एक अलग क्लस्टर है। इसी प्रकार, यह कहा गया है कि श्रीमती प्रेम को 131 विशाल एन्क्लेव, राजौरी गार्डन, नई दिल्ली का निवासी दिखाया गया है, जबकि वह ए-131 की निवासी है, जो अलग क्लस्टर में है। ट्रायल कोर्ट और निचली अपीलीय अदालत के फैसले से ऐसा प्रतीत होता है कि इन उत्तरदाताओं के पते 96 विशाल एन्क्लेव, राजौरी गार्डन, नई दिल्ली और 131 विशाल एन्क्लेव राजौरी गार्डन, नई दिल्ली के निवासियों के रूप में दिए गए हैं। यह मानते हुए कि प्रतिवादी को मुकदमे में उचित रूप से तामील किया गया था और उन पर एकतरफा कार्यवाही की गई थी, लेकिन वादी/प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा दायर मुकदमा खारिज कर दिया गया। उन्होंने एक अपील दायर की और प्रथम अपीलीय अदालत ने उन्हें बुलाए बिना ही अपील पर फैसला कर दिया। इन परिस्थितियों में, वर्तमान अपील 635 दिनों की लंबी देरी के बाद दायर की गई है। आवेदकों ने कहा है कि उन्हें आक्षेपित निर्णय और डिक्री की जानकारी तभी प्राप्त हुई जब उन्होंने जमाबंदी की प्रतिलिपि के लिए राजस्व अधिकारियों से संपर्क किया।

(7) इस आवेदन का प्रतिवादी नंबर 1 (वादी) द्वारा कड़ा विरोध किया गया है, जिसने एक अस्वीकरण भी दायर किया है जिसमें कहा गया है कि आवेदकों (मुकदमे में प्रतिवादी) को पंजीकृत डाक के माध्यम से ट्रायल कोर्ट के समक्ष विधिवत तामील किया गया था, लेकिन उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया और उनमें से कुछ को प्रतिस्थापित तामील यानी मुनादी के माध्यम से विधिवत तामील प्रदान की गई। उत्तरदाताओं के अनुसार, आवेदक प्रत्येक दिन की देरी और पर्याप्त कारण बताने में विफल रहे हैं। अत: आवेदन पूर्णतः खारिज किये जाने योग्य है।

(8) उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री अरुण जैन ने दृढ़तापूर्वक तर्क दिया कि इतनी लंबी देरी अक्षम्य है और देरी को माफ करने के लिए कोई पर्याप्त कारण नहीं है। उन्होंने **पवन कुमार बनाम हरिंदर सिंह**[1], **भैरों प्रसाद बनाम करम चंद**[2], **न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम हनील एरा टेक्सटाइल्स लिमिटेड**[3] और **पी.के.रामचन्द्रन बनाम केरल राज्य**[4] का उल्लेख किया है।

(9) इन सभी निर्णयों का सार यह है कि पर्याप्त कारण के बिना देरी को माफ नहीं किया जा सकता है और परिसीमा अधिधियम को इसकी पूरी कठोरता के साथ लागू किया जाना चाहिए और जब क़ानून ऐसा निर्धारित करता है तो न्यायालयों के पास न्यायसंगत के आधार पर सीमा की अवधि बढ़ाने की कोई शक्ति नहीं है।

(10) जहां तक उपरोक्त निर्णयों में प्रतिपादित कानून के प्रस्ताव का सवाल है, तो उसमे कोई विवाद नहीं है। जिस प्रश्न पर विचार करने की आवश्यकता है वह यह है कि क्या प्रतिवादियों को अपीलीय न्यायालय के आक्षेपित डिक्री की जानकारी थी; क्या अपील दायर करने में देरी को माफ किया जा सकता है जब उन्हें (आवेदकों को) कार्यवाही की लंबितता और परिणामी निर्णय/डिक्री के बारे में कोई जानकारी नहीं है और क्या यह पर्याप्त कारण बनता है। यह स्वीकृत स्थिति है कि निचली अपीलीय अदालत ने कभी भी अपीलकर्ताओं और अन्य लोग,जो उसके समक्ष प्रतिवादी थे, तलब नहीं किया, न ही वे स्वयं उपस्थित हुए।

---

[1] 2004 (3) पी.एल.आर. 613
[2] 2000 (4) आर.सी.आर. (सिविल) 519
[3] 2003 (4) आरसीआर (सिविल) 67
[4] एआईआर 1968 एस.सी. 2276

(11) श्री जैन ने 21 अक्टूबर, 2004 के आक्षेपित निर्णय और अंतरिम आदेश का समर्थन किया है, जिसके तहत निचली अपीलीय अदालत ने अपील में उत्तरदाताओं को न बुलाने का फैसला इस आधार पर किया था कि वे ट्रायल कोर्ट के समक्ष एकपक्षीय थे तथा उन्होंने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के लिए सम्मिलित सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 41 नियम 14(3) के प्रावधानों का सहारा भी लिया। उनके तर्क की सराहना करने की दृष्टि से, प्रासंगिक प्रावधानों की जांच करना आवश्यक है। सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 41 के नियम 14 का उप नियम 3 इस प्रकार पढ़ता है:-

"पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़_____(i) निम्नलिखित उप-नियम (3) के रूप में जोड़ें:

"(3) यह अपीलीय न्यायालय के विवेक पर निर्भर होगा कि वह अपील के किसी भी चरण में, चाहे किसी भी पक्ष के आवेदन पर या अपने स्वयं के प्रस्ताव पर, किसी भी प्रतिवादी पर इस तरह के नोटिस की तामील से छूट का आदेश दे जो या तो उस न्यायालय की सुनवाई में जिसकी डिक्री की शिकायत की गई है, या उस न्यायालय के डिक्री के बाद की किसी कार्यवाही में उपस्थित नहीं हुआ, या ऐसे किसी भी प्रतिवादी के कानूनी प्रतिनिधियों पर:

परन्तु -

(ए) वह न्यायालय अपील के नोटिस को किसी भी समाचार पत्र में या ऐसे अन्य तरीके से प्रकाशित करने की मांग कर सकता है जैसा वह निर्देश दे;

(बी) ऐसा कोई भी आदेश ऐसे किसी भी प्रतिवादी या किसी प्रतिनिधि को अपील का मुकाबला करने के लिए उपस्थित होने से नहीं रोकेगा।

(12) तदनुसार, यह आग्रह किया गया है कि यह संशोधन मामले में उत्तरदाताओं को न बुलाने के लिए एक वैध आधार प्रदान करता है। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि चूंकि उत्तरदाताओं/प्रतिवादियों ने ट्रायल कोर्ट में विधिवत तामील दिए जाने के बाद मुकदमा नहीं लड़ने का फैसला किया, इसलिए अपीलीय अदालत की उन्हें न बुलाने की बुद्धिमत्ता पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है तथा इसमें कोई गलती नहीं निकाली जा सकती है और इस प्रकार, अपील का ज्ञान

और निचली अपीलीय अदालत के फैसले का श्रेय अपील में उत्तरदाताओं यानी मेरे समक्ष आवेदकों/अपीलकर्ताओं को दिया जाना है।

(13) श्री जैन ने आगे **मोहन मसीह बनाम श्रीमती बशीरो और अन्य** [5]मामले में इस न्यायालय की पूर्ण पीठ के फैसले का हवाला दिया है जिसमें माननीय पूर्ण पीठ ने एक अपील पर फैसला करते हुए, उत्तरदाताओं को नोटिस की तामील से छूट दे दी और अपील पर फैसला कर दिया। माननीय पूर्ण पीठ ने निम्नलिखित टिप्पणियाँ की:-

> "पार्टियों को नोटिस नहीं दिया जा सका क्योंकि यह बताया गया है कि वे याचिका में पहले दिए गए पते पर नहीं रह रहे हैं। हालाँकि, हम इस मामले में और देरी करना आवश्यक नहीं समझते क्योंकि प्रतिवादी के खिलाफ नीचे की अदालत में मामला एकपक्षीय था और वास्तव में प्रतिवादी को दोबारा तामील देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तदनुसार, नोटिस की तामील समाप्त कर दी गई है।"

(14) उन्होंने **ज्ञान सिंह बनाम जोगिंदर सिंह और अन्य**[6] में रिपोर्ट किए गए इस न्यायालय के एक अन्य फैसले का भी उल्लेख किया है, जिसमें इस न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणियां की थीं: -

> "अपीलकर्ता के विद्वान वकील श्री सरीन ने आपत्ति उठाई है कि वादपत्र और डिक्री शीट में संशोधन का आदेश देने से पहले यह आवश्यक है कि सभी प्रतिवादी- रेहनदारों को तामील कराया जाए। मैं अपीलकर्ता के विद्वान वकील से सहमत नहीं हूं। सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 41 नियम 14 में इस उच्च न्यायालय ने एक संशोधन किया जिसमें यह प्रावधान किया गया कि यह अपीलीय न्यायालय के विवेक पर निर्भर होगा कि वह अपील के किसी भी स्तर पर, चाहे किसी पक्ष के आवेदन पर या अपने स्वयं के प्रस्ताव पर, किसी भी प्रतिवादी पर नोटिस के तामील से छूट दे जो या तो उस न्यायालय की सुनवाई में, जिसकी डिक्री की शिकायत की गई है, या उस न्यायालय के डिक्री के बाद की किसी कार्यवाही में उपस्थित नहीं हुआ।

---

[5] (1988-2) पीएलआर 138

[6] 1978 पी ई आर 298

> वर्तमान मामले में, यह विवादित नहीं है कि केवल अपीलकर्ता ज्ञान सिंह ने मुकदमा लड़ा तथा और कोई अन्य प्रतिवादी ट्रायल कोर्ट या प्रथम अपीलीय अदालत या इस अदालत में उपस्थित नहीं हुआ। इन परिस्थितियों में, मुझे नहीं लगता कि उन पर तामील आवश्यक है। परिणामस्वरूप, मैं इस याचिका के निर्णय के लिए उनकी तामील वितरित कर देता हूं।"

(15) इसमें कोई संदेह नहीं है कि, इस न्यायालय की पूर्ण पीठ ने उत्तरदाताओं को नोटिस की तामील से छूट देकर अपील का फैसला किया और ऊपर उल्लिखित बाद के मामले में, इस न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश ने भी सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 41 नियम 14 के प्रावधानों के मद्देनजर उत्तरदाताओं को तामील से छूट देने का निर्णय लिया, लेकिन यह उन मामलों के तथ्यों के तहत था। इनमें से किसी भी मामले में, कानून का कोई प्रस्ताव निर्धारित नहीं किया गया है जो एक बाध्यकारी मिसाल बन सकता है।

(16) किसी विशेष मामले में तामील से छूट देना एक बात है, लेकिन कार्यवाही और डिक्री का ज्ञान उस पक्ष को देना और आरोपित करना, जिसे तामील प्रदान नहीं की गई है, दूसरी बात है। यहां तक कि आदेश 41 सिविल प्रक्रिया संहिता के नियम 14 के उप नियम 3 में भी यह प्रावधान है कि निचली अदालत के समक्ष उपस्थित नहीं होने वाले पक्ष को तामील से छूट देना अपीलीय अदालत के विवेक पर निर्भर है। यह विवेक नियम के प्रावधान द्वारा सीमित है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ अपील की सूचना को किसी भी समाचार पत्र में या ऐसे अन्य तरीके से प्रकाशित करने की आवश्यकता होती है जैसा कि अदालत निर्देश दे सकती है, इससे पहले कि दी गई परिस्थितियों में नोटिस से छूट देने के विवेक का प्रयोग किया जाए। इस प्रकार, नियम अपीलीय न्यायालय को उत्तरदाताओं को तामील से छूट देने का पूर्ण विवेक प्रदान नहीं करता है, जो निचली अदालत के समक्ष अनुपस्थित थे, लेकिन अपीलीय अदालत को निर्धारित तरीकों से तामील से छूट देने का विकल्प दिया गया है, बशर्ते कि उन्हें समाचार पत्र या किसी अन्य माध्यम से प्रकाशित करा जाए, जिसे न्यायालय उचित समझे। यह नियम पूर्ण गैर-तामील या उत्तरदाताओं को पूरी तरह से तामील से वंचित करने की परिकल्पना नहीं करता है, क्योंकि यह स्वयं गैरकानूनी और

असंवैधानिक होगा और "ऑडी अल्ट्रम पार्टम" के सिद्धांत और सिविल प्रक्रिया संहिता में अन्य वैधानिक प्रावधानों का भी उल्लंघन होगा, जिसके लिए आवश्यक है कि मामले के पक्षों को नोटिस दिया जाए और उनके खिलाफ किसी भी दावे का मुकाबला करने का अवसर प्रदान किया जाए। इस नियम को लागू करने का उद्देश्य कभी भी न्यायालय को किसी पक्ष की तामील करने या न करने का पूर्ण विवेक प्रदान करना नहीं था। ऐसी स्थिति कानून के शासन, न्यायिक औचित्य और न्यायिक ज्ञान और न्याय वितरण के विपरीत होगी।

(17) श्री जैन द्वारा सिविल प्रक्रिया न्यायालय के आदेश 41 नियम 14 (3) के प्रावधानों की जो व्याख्या की गई है वह स्वीकार्य नहीं है और मेरी न्यायिक अंतरात्मा को पसंद नहीं आती है। यहां तक कि उप नियम 3 का खंड (बी) भी प्रतिवादियों/प्रतिवादियों के लिए बाद के किसी भी चरण में अपील लड़ने के लिए उपस्थित होने में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करता है। यह अकल्पनीय है कि जिस पक्ष को कभी नोटिस नहीं दिया गया, उससे न्यायालय की कार्यवाही और निर्णय को जानने की उम्मीद की जाती है।

(18) वर्तमान मामले के विशिष्ट तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, प्रथम अपीलीय न्यायालय के लिए प्रतिवादियों (यहाँ अपीलकर्ताओं) को तामील प्रदान करना अनिवार्य था। यह स्वीकृत तथ्य है कि प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा दायर मुकदमा ट्रायल कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया था, भले ही प्रतिवादियों पर एक पक्षीय कार्यवाही की गई थी। यह मानते हुए कि प्रतिवादियों को मुकदमे की तामील होने की जानकारी थी, लेकिन मुकदमे के खारिज होने से यह माना जाता है कि वे उस फैसले से संतुष्ट हैं और उन्हें अपील दायर करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ट्रायल कोर्ट का फैसला उनके पक्ष में था। उनके आत्मसंतुष्ट होने का हर कारण था। इस परिदृश्य में, निचली अपीलीय अदालत द्वारा प्रतिवादियों को तामील न देने का निर्णय एक ज़बरदस्त और पेटेंट अवैधता के अलावा और कुछ नहीं कहा जा सकता है। निचली अपीलीय अदालत का यह वैधानिक दायित्व था कि वह प्रतिवादियों को अखबार में प्रकाशन या किसी अन्य स्वीकार्य तरीके से नोटिस तामील करने का आदेश देती, यदि सामान्य प्रक्रिया में नोटिस, प्रतिवादी के ट्रायल कोर्ट के समक्ष अनुपस्थित होने के कारण तामील नहीं करा जा सकता था। निचली अपीलीय अदालत द्वारा नोटिस की तामील न किया जाना, अपील दायर करने में हुई देरी को माफ करने के लिए पर्याप्त

कारण बनता है। **एन. बालकृष्णन बनाम एम. कृष्णमूर्ति**[7] मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह माना गया है कि एक बार पर्याप्त कारण दिखाए जाने पर, देरी की अवधि अप्रासंगिक है।

(19) उपरोक्त परिस्थितियों और कानून की स्थिति के मद्देनजर, निचली अपीलीय अदालत द्वारा नोटिस की गैर-सेवा, अवधि की लंबाई के बावजूद, देरी को माफ करने के लिए पर्याप्त है।

(20) तदनुसार, यह आवेदन स्वीकार किया जाता है। अपील दायर करने में हुआ विलंब माफ किया जाता है।

(21) नियमित द्वितीय अपील को 2 नवंबर, 2007 को एडमिशन हेतु विचार के लिए सूचीबद्ध किया जाए।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

आदित्य जैन
सिविल जज (जूनियर डिविजन) व प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
पानीपत, हरियाणा|

[7] (1998)7 एस.सी.सी. 123